

राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका बुहाना जिला झुझुनू (राजस्थान)  
(दिनांक 12.03.2022 शनिवार)  
लोक अदालत बैंच न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. - 171/2021

GCMS NO- 2021/268

किस्म मुकदमा :- अन्तर्गत धारा 138 एल.आर.एक्ट 1956

-उनवान-

सत्येन्द्र

बनाम


राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना


-:निर्णय:-


दिनांक : 12.03.2022

प्रार्थी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी हल्का झूमोली कलां आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम ढाणी दौचाणा की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	ढाणी दौचाणा	75	रघुनाथ पुत्र लाखा	रघुवीर सिंह पुत्र लाखाराम

  
(श्रीकांत)  
सदस्य  
अधिवक्ता

  
(सुनील कुमार चौहान)  
आर.ए.एस  
सदस्य  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना

  
(दीपक कुमार)  
अध्यक्ष  
न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी

क्रमांक :- राजस्व / 2022 /

प्रतिलिपि :- तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।

दिनांक :- 12.03.2022

उपखण्ड अधिकारी बुहाना

